

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// ज्ञापन //

क्रमांक B/5133/चार-12-5/2023

जबलपुर, दिनांक 29/07/2023

प्रति,

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश.....(म.प्र. राज्य के समस्त)।
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय.....(म.प्र. राज्य के समस्त)।

विषय:- यूनिक एम्पलाई कोड को IFMIS में Join कराये जाने बावत।

संदर्भ:- रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक ए/3947/चार-12-5/2023 दिनांक 12.07.2023


—00—


निर्देशानुसार, उपरोक्त विषय के संबंध में रजिस्ट्री के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 12.07.2023 के अनुक्रम में लेख है कि आपके स्थापना से दिनांक 01.01.2016 तथा इसके पश्चात्पूर्वी तिथि से सेवानिवृत्त हुये ऐसे उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों/माननीय न्यायाधिपति के पद पर Elevated हुये उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों जिनका यूनिक एम्पलाई कोड IFMIS में Join नहीं होने के कारण उनके ऐरियर्स राशि का भुगतान नहीं हो सका है, के नाम, पदनाम, सेवानिवृत्ति का दिनांक व स्थान की जानकारी शीघ्र इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें ताकि उनके यूनिक एम्पलाई कोड को IFMIS में Join कराने हेतु जानकारी आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल को प्रेषित की जा सके।

पृष्ठांकन क्र० B/5134/चार-12-5/2023

प्रतिलिपि:-

1. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा अनुभाग), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


21.7.23
(अजय पवार)
रजिस्ट्रार(एम)
जबलपुर, दिनांक 29/07/2023


21.7.23
रजिस्ट्रार(एम)